

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
अनुसंधान भवन, 2, रफ़ी मार्ग, नई दिल्ली-110001

16/15(BF)/2008-CR

दिनांक: - 04.05.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- रिपोर्टिंग वर्ष 2021-2022 हेतु ओ-अपार/अपार/पीएमएस के सम्बन्ध में

ओ-अपार/अपार/पीएमएस को समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए इस कार्यालय द्वारा दिनांक 28.03.2013 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था जिसमें इस विषय पर डीओपीटी द्वारा समय समय पर जारी समय सीमाएं तथा अन्य अनुदेशों का ब्यौरा दिया गया था। ओ-अपार/अपार/पीएमएस को प्रस्तुत किए जाने के लिए इस कार्यालय ज्ञापन की एक प्रति और निर्धारित समय तालिका की प्रति इस कार्यालय ज्ञापन के साथ संलग्न है।

सीएसआईआर मुख्यालय/सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स/ एचआरडीजी/ एचआरडीसी/ आईपीयू/ टीकेडीएल/टीएमडी/एमबीजीएच/ साइंस सेंटर/ यूआरडीआईपी/ रैब/ ईएसडी/ ईएमआर-I/II के सभी कर्मचारियों/अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि वे सीएसआईआर के वेबसाइट www.csir.res.in से ओ-अपार/अपार/पीएमएस फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। सभी अपना स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट (Self-Appraisal) इस अनुभाग को इस कार्यालय ज्ञापन की तिथि के 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर दें ताकि उनमें अवकाश आदि से सम्बंधित आवश्यक प्रविष्टियां रिकॉर्ड करके सम्बंधित रिपोर्टिंग/रिव्युइंग अधिकारियों को अग्रेषित किया जा सके।

समूह-IV वैज्ञानिकों के लिए जो प्रोफोर्मैस मूल्यांकन प्रणाली बनाई गई है वह सीएसआईआर के वेबसाइट पर विस्तृत अनुदेशों सहित उपलब्ध हैं। सभी वैज्ञानिकों से अनुरोध है कि वे इसे पढ़ लें और तदनुसार अपने स्व-मूल्यांकन आगे की आवश्यक कार्रवाई (कॉलेजियम एवं एम्पावर्ड कमेटी) के लिए इस कार्यालय को प्रस्तुत करें। कार्यालय रिपोर्टिंग तथा रिव्युइंग से सम्बंधित कार्रवाई करने से पहले छुट्टी आदि से सम्बंधित आवश्यक प्रविष्टियां रिकॉर्ड करेगा।

इस विषय में यह प्रस्तुत है कि ओ-अपार/अपार/पीएमएस को प्रस्तुत करने में कोई विलम्ब करने पर रिपोर्ट अपने मूल्यांकन/डीपीसी/एमएसपीपी/ मूल्यांकन पदोन्नति आदि में किसी प्रकार के संभव विलम्ब के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे। पूर्ण ओ-अपार/अपार/पीएमएस इस अनुभाग को यह कार्यालय ज्ञापन के प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर प्रस्तुत किया जाए। यदि कोई कर्मचारी/अधिकारी निर्धारित समय सीमा तक अपना स्व-मूल्यांकन प्रस्तुत नहीं करता है तो यह माना जाएगा कि सम्बंधित कर्मचारी/अधिकारी द्वारा कोई स्व-मूल्यांकन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। ऐसे मामलों में सम्बंधित रिपोर्टिंग अधिकारी अपने स्तर पर उस कर्मचारी/अधिकारी विशेष की ओ-अपार/अपार/पीएमएस भरने की पहल कर सकता है।


(एस.के.यादव)
अवर सचिव

प्रतिलिपि:

1. सीएसआईआरमुख्यालय/सीएसआईआरकॉम्प्लेक्स/एचआरडीजी/एचआरडीसी/एमबीएसए/एमबीजीएच/आईपीयू/टीकेडीएल/टीएमडी/साइंस सेंटर के सभी अनुभागाध्यक्ष/प्रभागाध्यक्ष
2. सीएसआईआरमुख्यालय/सीएसआईआरकॉम्प्लेक्स/एचआरडीजी/एचआरडीसी/एमबीएसए/एमबीजीएच/आईपीयू/टीकेडीएल/टीएमडी/साइंस सेंटर के सभी वरिष्ठ उप सचिव / वरिष्ठ उप वित्त सलाहकार / उप वित्त सलाहकार/उप सचिव
3. मुख्य सतर्कता अधिकारी के निजी सहायक
4. वरि. उप सचिव (केंद्रीय कार्यालय)
5. प्रमुख, सूचना प्रौद्योगिकी- इस अनुरोध के साथ कि वे कृपया इस कार्यालय ज्ञापनको सीएसआईआर की वेबसाइट पर अपलोड कराएं
6. सीएसआईआरमुख्यालय/सीएसआईआरकॉम्प्लेक्स/एचआरडीजी/एचआरडीसी/एमबीएसए/एमबीजीएच/आईपीयू/टीकेडीएल/टीएमडी/साइंस सेंटर के सभी नोटिस बोर्ड्स
7. कार्यालय प्रति